न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 15/2015 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :– सरदुलसिंह पुत्र श्री गुरदेवसिंह जाति जटसिख निवासी चक 6 एफ. ए. रडेवाला, तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

——— अपीलान्ट

–– बनाम ––

राजस्थान राज्य जरिये राजकीय अभिभाषक

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री जगदीश शर्मा — अभिभाषक अपीलांट

श्री शरद ओझा — सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

निर्णय

दिनांक : 03.12.2019

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 28.07.2015, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने पिता स्व. श्री गुरदेवसिंह के नाम से बने शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 739/72 एसडीएम करणपुर आउट साईड नं. 106/91 डीएम श्रीगंगानगर पर दर्ज 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 2367 प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर, पुलिस अधिक्षक, सीआईडी (एटीसी) राज. जयपुर/अति.पुलिस अधीक्षक, सीआईडी(विशा)जोन, श्रीगंगानगर, तहसीलदार, करणपुर से रिपोर्ट ली गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार जिला पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 24.9.14 में प्रार्थी सरदुलसिंह को शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना अनुचित बताया है। पुलिस ने प्रार्थी को जान–माल का खतरा होने संबंधी रिपोर्ट नहीं दी है तथा भारत सरकार का परिपत्र क्रमांक वी. 11016 /16/2009–आर्म्स दिनांक 31.03.2010 के अनुसार अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

की शर्ते पूर्ण नहीं हुई है, का हवाला देते हुए अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2015 पारित कर अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री जगदीश शर्मा का मुख्य कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में पुलिस रिपोर्ट का आधार लेते हुए अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त किया है, जबकि पुलिस की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.2010 का उल्लेख कर अनुज्ञा पत्र देने में अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। इस परिपत्र की विस्तृत विवेचना की जानी चाहिए, जो नहीं की गई है। अपीलांट सीनियर सिटीजन की श्रेणी का व्यक्ति है। अपीलांट के विरूद्ध ऐसा कोई मुकदमा लम्बित नहीं है, जिससे यह सिद्ध होता हो कि अपीलांट आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है और उससे शांति भंग होने का खतरा हो। अपीलांट की कृषि भूमि भारत–पाक सीमा के नजदीक है। हमेशा पाक की ओर से अवैध पशु व आतंकी सीमा पार से भारत में घुसने का प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए आत्मरक्षा हेतु शस्त्र की अति आवश्यकता है। इस तथ्य पर मातहत अदालत ने कोई गौर नहीं किया है। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

5. विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री शरद ओझा ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि प्रकरण मृतक पिता का है। मृतक स्व. श्री गुरदेवसिंह के नाम से बने शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 739/72 एसडीएम करणपुर आउट साईड नं. 106/91 डीएम श्रीगंगानगर पर दर्ज 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 2367 प्राप्त करने के उद्देश्य अपीलांट ने अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। इस संबंध में गृह (ग्रुप–9) विभाग, जयपुर का पत्र दिनांक 21.6.2010 में यह मार्गदर्शन दिया गया है कि उत्तराधिकार के रूप में शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, जो उचित है। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश उचित आधारों पर पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे ।

6. हमने उभय पक्ष की बहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया । विद्वान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलांट अपने मृतक पिता स्व. श्री गुरदेवसिंह के नाम से

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बने शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 739/72 एसडीएम करणपुर आउट साईड नं. 106/91 डीएम श्रीगंगानगर पर दर्ज 12 बोर डीबीबीएल गन नं. 2367 प्राप्त करने के उद्देश्य से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था। इस संबंध में मृतक के शेष वारिसान की सहमति भी थी। अधिनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में पुलिस रिपोर्ट का आधार लेते हुए अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त किया है, जबकि पुलिस की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 31.03.2010 की विस्तृत विवेचना की जानी चाहिए, जो नहीं की गई है। इस संबंध में राज्य पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक के कथनानुसार गृह (ग्रुप–9) विभाग, जयपुर का पत्र दिनांक 21.6.2010 में यह मार्गदर्शन दिया गया है कि उत्तराधिकार के रूप में शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, जिससे हम सहमत है। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने मृतक प्रकरण में अपीलांट का आवेदन पत्र गृह विभाग द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों, मार्गदर्शन के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित कर निरस्त किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है।

7. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा उचित ही खारिज किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने भी हमारे समक्ष कोई नवीन साक्ष्य–सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिस पर गौर किया जा सके।

8. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2015 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

9. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 03.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानसहाय मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Sahai Meena
Date: 2020.01.06 17:44:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: